भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 388
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

हिमाचल प्रदेश में मत्स्यपालन अवसंरचना

388. श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में मत्स्यपालन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में मत्स्यपालन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु सरकार किन पहलों पर कार्य कर रही है;

(ग) हिमाचल प्रदेश जैसे जैविक मत्स्य क्लस्टरों के विस्तार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार पीएमएमएसवाई के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में मत्स्य सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार वित्त वर्ष 2020-21 से हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से एक प्रमुख योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)" का कार्यान्वयन कर रहा है। PMMSY के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 7,921.83 लाख रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 15,450.52 लाख रुपए की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य में मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लागू की गई पहलों में बायोफ्लोक इकाइयाँ, री-सर्कुलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), फिश कियोस्क, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फीड मिल, ट्राउट और कार्प हैचरी, ट्राउट रेसवे, बैकयार्ड ओर्नामेंटल यूनिट्स, ब्रूड बैंक, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर और रिक्रीएशनल फिशरीज़ यूनिट्स आदि की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2018-19 से कार्यान्वित फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत, जिसकी निधि 7,522.48 करोड़ रुपए है, हिमाचल प्रदेश सरकार के 5.17 करोड़ रुपए की लागत से "गगरेट, जिला ऊना में एक अत्याधुनिक मात्स्यिकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना" के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित इन्फ्रास्ट्रक्चर, मत्स्यपालन इकाइयाँ और अन्य पहल जैसे पॉण्ड फ़ार्मिंग, रेसवे में ट्राउट कल्चर, हैचरी में मत्स्य बीज उत्पादन, सजावटी मत्स्यपालन, मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स के साथ थ्री वीलर जैसी मत्स्य परिवहन सुविधाएँ, प्रशीतित वाहन, कोल्ड चेन और फिश मारकेटिंग सुविधाएँ, मछुआरों को प्रदान की जाने वाली नावें और मत्स्य जाल और मनोरंजक मात्स्यिकी भी राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक हैं।

(ग): हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गर्म और ठंडे दोनों ही जल पारिस्थितिकी तंत्रों (इकोसिस्टम) में मत्स्यपालन मुख्यतः जैविक विधियों से किया जाता है। राज्य में जैविक और ठंडे जल में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत एक कोल्ड वॉटर फिशरीस क्लस्टर स्थापित करने की पहल की है। इस पहल के अंतर्गत, कुल्लू ज़िले को अग्रणी ज़िला और मंडी ज़िले को भागीदार ज़िला के रूप में चिन्हित किया गया है ताकि PMMSY के अंतर्गत क्लस्टर विकास हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में निर्धारित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचित कोल्ड वॉटर फिशरीस क्लस्टर विकसित किया जा सके।

(घ): भारत सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य में मात्स्यिकी सहकारी समितियों के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु, विशेष रूप से जलाशय मात्स्यिकी क्षेत्र में, सहायता प्रदान कर रही है। मात्स्यिकी सहकारी समितियों के सदस्यों को मत्स्यन जाल की खरीद और क्लोस सीज़न में सहायता के प्रावधान के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, पंजीकृत जलाशय मछुआरों को क्लोस सीज़न के दौरान प्रति वर्ष 4,500 की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से प्रति वर्ष प्रति लाभार्थी को केंद्र सरकार 2,400 रुपए प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में, कुल 10,151 लाभार्थियों को गोबिंद सागर, कोलडैम, पौंग डैम, चमेरा और रंजीत सागर (थीन डैम) जैसे प्रमुख जलाशयों में कवर किया गया है जिसमें संचयी वित्तीय सहायता 2.44 करोड़ रुपए थी । इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में नवगठित चार मात्स्यिकी सहकारी समितियों को 12.00 लाख रुपए (प्रति समिति 3.00 लाख रुपए) की कुल वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

*****